CHETANA
International Journal of Education (CIJE)

Peer Reviewed/Refereed Journal
ISSN : 2455-8279 (E)/2231-3613 (P)

Impact Factor
SJIF 2026-8.584

Prof. A.P. Sharma
Founder Editor, CIJE
(25.12.1932 - 09.01.2019)

सम्राट अशोक और मुगल सम्राट अकबर की धार्मिक नीति: एक तुलनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन

रोहिताश कुमार
सहायक आचार्य, इतिहास
राजकीय महिला महाविद्यालय, झुन्झनू, 333001
Email : rohitashkumarjhunjhunu@gmail.com, Mobile- 9413434642

First draft received: 18.04.2026, Reviewed: 22.04.2026
Final proof received: 15.05.2026, Accepted: 23.06.2026

सार-संक्षेप

प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में धार्मिक नीति शासन का एक महत्वपूर्ण अंग रही है। सम्राट अशोक तथा सम्राट अकबर ने अपने-अपने काल में धार्मिक सहिष्णुता, नैतिकता और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने वाली नीतियों को अपनाया। यह शोध-पत्र दोनों शासकों की धार्मिक नीतियों का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिसमें उनके उद्देश्यों, कार्यान्वयन तथा प्रभावों का अध्ययन किया गया है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि दोनों शासकों के ऐतिहासिक संदर्भ भिन्न थे, फिर भी उनकी नीतियों में सार्वभौमिक नैतिकता और धार्मिक सहिष्णुता की समान भावना विद्यमान थी।

मुख्य शब्दः *धार्मिक सहिष्णुता, नैतिकता, धम्म, नैतिक शिक्षा, सुलह-ए-कुल, दीन-ए-इलाही.*

प्रस्तावना

भारतीय इतिहास के विकासक्रम में धर्म और राजनीति के बीच अत्यंत घनिष्ठ एवं जटिल संबंध देखने को मिलता है। शासन व्यवस्था केवल प्रशासनिक नियंत्रण का साधन नहीं रही, बल्कि वह समाज के नैतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन को दिशा देने का माध्यम भी बनी। प्राचीन भारत से लेकर मध्यकालीन भारत तक शासकों ने धर्म को विभिन्न रूपों में अपनाया कभी सत्ता की वैधता स्थापित करने के लिए, तो कभी सामाजिक समरसता और लोककल्याण के लिए।

इसी संदर्भ में सम्राट अशोक और सम्राट अकबर का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। मौर्यकालीन शासक अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म को अपनाकर अपने शासन को नैतिकता, अहिंसा और मानवतावाद के सिद्धांतों पर आधारित किया। उनकी "धम्म" नीति किसी एक संप्रदाय तक सीमित न होकर सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों पर आधारित थी, जिसने शासन को जनकल्याण और नैतिक उत्थान का माध्यम बनाया। अशोक ने अपने शिलालेखों और अभिलेखों के माध्यम से धार्मिक सहिष्णुता, करुणा और सामाजिक सद्भाव का संदेश दिया, जो उस समय की राजनीतिक सोच में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का द्योतक था।

दूसरी ओर, मध्यकालीन भारत में सम्राट अकबर ने एक बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक समाज में शासन करते हुए धार्मिक विविधता को स्वीकार किया और "सुलह-ए-कुल" की नीति को अपनाया। अकबर ने न केवल विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के साथ समान व्यवहार किया, बल्कि धार्मिक संवाद और विचार-विमर्श को भी प्रोत्साहित किया। इबादतखाना में आयोजित चर्चाओं के माध्यम से उन्होंने एक समन्वयवादी दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास किया, जो धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक समन्वय पर आधारित था। उनकी नीतियाँ केवल धार्मिक उदारता तक सीमित नहीं थीं, बल्कि वे एक स्थायी और समावेशी शासन व्यवस्था की स्थापना की दिशा में भी महत्वपूर्ण थीं।

यह शोध-पत्र इन दोनों महान शासकों की धार्मिक नीतियों का तुलनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। इसमें यह समझने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार भिन्न ऐतिहासिक परिस्थितियों और सामाजिक संरचनाओं के बावजूद दोनों शासकों ने धर्म को सामाजिक एकता, नैतिकता और प्रशासनिक स्थिरता के साधन के रूप में उपयोग किया। साथ ही, यह अध्ययन उनके विचारों, नीतियों और कार्यान्वयन के दीर्घकालीन प्रभावों को भी स्पष्ट करता है।

अंततः, यह कहा जा सकता है कि सम्राट अशोक और सम्राट अकबर की धार्मिक नीतियाँ भारतीय इतिहास में सहिष्णुता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक समरसता की सुदृढ़ परंपरा की आधारशिला के रूप में स्थापित होती हैं, जो आज भी समकालीन समाज के लिए प्रेरणास्रोत बनी हुई हैं।

सम्राट अशोक की धार्मिक नीति

भारतीय इतिहास में सम्राट अशोक की धार्मिक नीति एक आदर्श शासन-दृष्टि का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें नैतिकता, सहिष्णुता और लोककल्याण का अद्वितीय समन्वय दिखाई देता है। उनकी नीति केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह एक व्यापक सामाजिक और प्रशासनिक दर्शन के रूप में विकसित हुई, जिसका उद्देश्य मानव जीवन को नैतिक एवं संतुलित बनाना था।

धम्म की अवधारणा

अशोक की धार्मिक नीति का केंद्रीय तत्व "धम्म" था। यह किसी संकीर्ण धार्मिक पहचान या संप्रदाय विशेष तक सीमित न होकर एक सार्वभौमिक नैतिक संहिता के रूप में प्रस्तुत किया गया था। धम्म का मूल उद्देश्य समाज में नैतिक अनुशासन और सामाजिक समरसता स्थापित करना था।

धम्म के प्रमुख तत्व निम्नलिखित थे-अहिंसा (प्राणियों के प्रति करुणा और हिंसा का त्याग),सत्य और ईमानदारी,दया एवं सहानुभूति,सहिष्णुता और पारस्परिक सम्मान,माता-पिता, गुरु एवं बड़ों का आदर।अशोक ने अपने शिलालेखों में धम्म को "सर्वधर्म समभाव" के रूप में प्रस्तुत किया, जो सभी धर्मों के मूल नैतिक सिद्धांतों को समाहित करता था। इस प्रकार, धम्म एक नैतिक जीवन-पद्धति थी, न कि केवल धार्मिक अनुष्ठानों का समूह।

बौद्ध धर्म का संरक्षण

कलिंग युद्ध अशोक के जीवन का एक निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ। इस युद्ध में हुए व्यापक रक्तपात और विनाश ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया, जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने हिंसा का त्याग कर बौद्ध धर्म को अपनाया।हालाँकि, यह ध्यान देने योग्य है कि अशोक ने बौद्ध धर्म को राज्य धर्म के रूप में थोपने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उसे एक नैतिक मार्ग के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने इसके प्रचार-प्रसार के लिए अनेक उपाय किए-धर्म यात्राओं का आयोजन, जिनमें वे जनता के बीच नैतिक संदेश प्रसारित करते थे,स्तूपों और विहारों का निर्माण, जो धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बने,विदेशों में धर्म प्रचार, जैसे श्रीलंका, मध्य एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया में मिशन भेजना,बौद्ध परिषदों का आयोजन, जिससे धर्म के सिद्धांतों का संरक्षण और प्रसार हुआ।इन प्रयासों के परिणामस्वरूप बौद्ध धर्म का व्यापक विस्तार हुआ और यह एक अंतरराष्ट्रीय धर्म के रूप में स्थापित हुआ।

धार्मिक सहिष्णुता

अशोक की धार्मिक नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू उनकी सहिष्णुता थी। उन्होंने अपने शिलालेखों में स्पष्ट रूप से यह संदेश दिया कि सभी धर्मों का सम्मान किया जाना चाहिए। उनके अनुसार, किसी भी धर्म की निंदा करने के बजाय अन्य धर्मों के गुणों को समझना और उनका सम्मान करना आवश्यक है।उन्होंने धार्मिक विवादों और संकीर्णता को समाज के लिए हानिकारक माना और सामंजस्य स्थापित करने पर बल दिया। अशोक का यह दृष्टिकोण उस समय के लिए अत्यंत प्रगतिशील था, क्योंकि उन्होंने धार्मिक विविधता को संघर्ष का नहीं, बल्कि सहयोग का आधार माना।

प्रशासनिक उपाय

अशोक ने अपनी धार्मिक नीति को प्रभावी बनाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिससे उनकी नीतियाँ केवल विचारों तक सीमित न रहकर व्यवहार में भी लागू हो सकीं।

प्रमुख प्रशासनिक उपाय इस प्रकार थे-

धर्म महामात्रों की नियुक्ति

अशोक ने विशेष अधिकारियों (धर्म महामात्र) की नियुक्ति की, जिनका कार्य जनता के बीच धम्म का प्रचार करना और नैतिक जीवन के प्रति जागरूकता फैलाना था।

नैतिक शिक्षा का प्रचार

शिलालेखों और अभिलेखों के माध्यम से उन्होंने नैतिक शिक्षाओं को जनसाधारण तक पहुँचाया। यह एक प्रकार का सार्वजनिक संचार माध्यम था।

जनकल्याणकारी कार्य

उन्होंने अनेक लोकहितकारी कार्य किए, जैसे-अस्पतालों की स्थापना (मानव एवं पशु दोनों के लिए),कुओं और तालाबों का निर्माण,सड़कों के किनारे वृक्षारोपण और विश्राम गृहों की व्यवस्था।इन उपायों से स्पष्ट होता है कि अशोक की धार्मिक नीति केवल आध्यात्मिक नहीं थी, बल्कि वह सामाजिक और आर्थिक कल्याण से भी गहराई से जुड़ी हुई थी।

सम्राट अकबर की धार्मिक नीति

मध्यकालीन भारत में सम्राट अकबर की धार्मिक नीति एक उदार, समन्वयवादी और व्यावहारिक दृष्टिकोण का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। एक बहुधार्मिक एवं बहुसांस्कृतिक साम्राज्य के शासक के रूप में अकबर ने यह समझ लिया था कि स्थायी शासन केवल सैन्य शक्ति से नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता और धार्मिक सहिष्णुता से ही संभव है। अतः उन्होंने ऐसी नीतियाँ अपनाईं, जो विभिन्न धर्मों के बीच संवाद, सम्मान और सहयोग को प्रोत्साहित करती थीं।

सुलह-ए-कुल की नीति

अकबर की धार्मिक नीति का मूल आधार "सुलह-ए-कुल" (सर्वधर्म समभाव) था। इस सिद्धांत का आशय था कि राज्य सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टि रखे और किसी विशेष धर्म को प्राथमिकता न दे।

सुलह-ए-कुल के अंतर्गत-सभी धर्मों के अनुयायियों को समान अधिकार प्रदान किए गए,धार्मिक आधार पर भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया गया,प्रशासन में विभिन्न धर्मों के लोगों को उच्च पदों पर नियुक्त किया गया।यह नीति न केवल धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक थी, बल्कि यह एक व्यावहारिक राजनीतिक रणनीति भी थी, जिसने मुगल साम्राज्य को स्थिरता और व्यापक जनसमर्थन प्रदान किया।

दीन-ए-इलाही की स्थापना

अकबर ने विभिन्न धर्मों हिंदू, इस्लाम, जैन, ईसाई और पारसी धर्म के नैतिक एवं आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय करते हुए दीन-ए-इलाही की स्थापना की।इसका मुख्य उद्देश्य एक ऐसा आध्यात्मिक मार्ग प्रस्तुत करना था, जो संकीर्ण धार्मिक सीमाओं से परे हो। दीन-ए-इलाही की प्रमुख विशेषताएँ थीं-ईश्वर की एकता में विश्वास,नैतिक जीवन और सदाचार पर बल,सम्राट के प्रति निष्ठा,सभी धर्मों के प्रति सम्मान।हालाँकि, यह धर्म व्यापक जनसमर्थन प्राप्त नहीं कर सका और सीमित वर्ग तक ही सीमित रहा, फिर भी यह अकबर की समन्वयवादी सोच का महत्वपूर्ण उदाहरण है।

धार्मिक करों का उन्मूलन

अकबर की धार्मिक नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू धार्मिक भेदभाव को समाप्त करना था। इस दिशा में उन्होंने कई महत्वपूर्ण कदम उठाएव।

जज़िया कर का उन्मूलन:

जज़िया एक ऐसा कर था, जो गैर-मुस्लिमों पर लगाया जाता था। अकबर ने इसे समाप्त करके धार्मिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया।

तीर्थ यात्रा कर का समाप्ति

उन्होंने तीर्थयात्राओं पर लगाए जाने वाले करों को भी समाप्त किया, जिससे सभी धर्मों के अनुयायियों को स्वतंत्र रूप से अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन करने की सुविधा मिली।इन उपायों से स्पष्ट होता है कि अकबर का उद्देश्य एक समावेशी और न्यायसंगत समाज की स्थापना करना था।

इबादतखाना और धार्मिक संवाद

अकबर ने इबादतखाना की स्थापना फतेहपुर सीकरी में की, जहाँ विभिन्न धर्मों के विद्वानों मुस्लिम उलेमा, हिंदू पंडित, जैन आचार्य, ईसाई मिशनरी को आमंत्रित कर धार्मिक और दार्शनिक विषयों पर चर्चा करवाई जाती थी।इन संवादों के प्रमुख उद्देश्य थे-विभिन्न धर्मों के सिद्धांतों को समझना,धार्मिक कट्टरता को कम करना,सत्य और नैतिकता के सार्वभौमिक तत्वों की खोज करना।इन चर्चाओं ने अकबर की सोच को और अधिक उदार एवं तर्कसंगत बनाया, जिससे उनकी धार्मिक नीति और अधिक विकसित हुई।

तुलनात्मक विश्लेषण

भारतीय इतिहास में सम्राट अशोक और सम्राट अकबर दो ऐसे महान शासक हैं, जिन्होंने भिन्न कालखंडों में शासन करते हुए धार्मिक नीति के माध्यम से सामाजिक समरसता और राजनीतिक स्थिरता स्थापित करने का प्रयास किया। यद्यपि उनके ऐतिहासिक संदर्भ, सांस्कृतिक परिस्थितियाँ और व्यक्तिगत अनुभव अलग-अलग थे, फिर भी उनकी नीतियों में कई समानताएँ और महत्वपूर्ण भिन्नताएँ स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती हैं।

नीचे दोनों शासकों की धार्मिक नीतियों का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत है -

काल एवं ऐतिहासिक संदर्भ

सम्राट अशोक का शासन प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य के उत्कर्ष काल में था, जब एक विशाल साम्राज्य को एकीकृत बनाए रखना प्रमुख चुनौती थी। दूसरी ओर, सम्राट अकबर मध्यकालीन भारत में एक बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक समाज पर शासन कर रहे थे, जहाँ विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक था।

इस प्रकार, दोनों की नीतियाँ उनके-अपने युग की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित हुईं।

मुख्य सिद्धांत

अशोक की धार्मिक नीति "धम्म" पर आधारित थी, जो नैतिकता, अहिंसा और मानवतावाद का प्रतीक थी। यह एक सार्वभौमिक नैतिक संहिता थी, जिसका उद्देश्य समाज में सदाचार और अनुशासन स्थापित करना था।

इसके विपरीत, अकबर की नीति "सुलह-ए-कुल" पर आधारित थी, जो सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार और सहअस्तित्व की भावना को प्रोत्साहित करती थी। यह अधिक व्यावहारिक और राजनीतिक दृष्टि से प्रेरित थी, जिसका उद्देश्य विविध समाज को एकजुट रखना था।

धार्मिक दृष्टिकोण

अशोक का दृष्टिकोण मुख्यतः नैतिकता-आधारित था। उन्होंने धर्म को व्यक्तिगत आचरण और सामाजिक नैतिकता से जोड़ा। वहीं, अकबर का दृष्टिकोण समन्वयवादी था। उन्होंने विभिन्न धर्मों के सिद्धांतों को समझकर उनमें सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। इस प्रकार, जहाँ अशोक ने धर्म को नैतिक जीवन का आधार बनाया, वहीं अकबर ने उसे सामाजिक समन्वय का साधन बनाया।

प्रमुख पहल

अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा दिया, किंतु इसे राज्य धर्म के रूप में थोपने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने धर्म यात्राओं, स्तूप निर्माण और विदेशों में मिशन भेजकर इसे वैश्विक स्तर तक पहुँचाया।

इसके विपरीत, अकबर ने दीन-ए-इलाही की स्थापना कर एक नवीन समन्वित धार्मिक विचारधारा प्रस्तुत की। हालाँकि यह व्यापक रूप से लोकप्रिय नहीं हो सकी, फिर भी यह उनकी उदार और प्रयोगात्मक सोच का प्रतीक थी।

सहिष्णुता और धार्मिक नीति का स्वरूप

अशोक ने सभी धर्मों के प्रति सम्मान की भावना को प्रोत्साहित किया। उनके अनुसार, अन्य धर्मों की निंदा करना अनुचित है और सभी को अपने-अपने धर्म का पालन स्वतंत्र रूप से करना चाहिए।

अकबर ने इससे एक कदम आगे बढ़कर समानता की नीति अपनाई। उन्होंने न केवल सभी धर्मों को सम्मान दिया, बल्कि प्रशासनिक और सामाजिक स्तर पर उन्हें समान अधिकार भी प्रदान किए।

प्रशासनिक एवं व्यावहारिक पक्ष

अशोक की नीति अधिक नैतिक-प्रेरित प्रशासन पर आधारित थी, जिसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति और शिलालेखों के माध्यम से जनजागरण किया गया। वहीं अकबर की नीति अधिक व्यावहारिक और संस्थागत थी, जिसमें करों का उन्मूलन, विभिन्न धर्मों के लोगों को प्रशासन में स्थान देना तथा धार्मिक संवाद को प्रोत्साहन शामिल था।

प्रभाव और महत्व

भारतीय इतिहास में सम्राट अशोक और सम्राट अकबर की धार्मिक नीतियों का प्रभाव अत्यंत व्यापक, दीर्घकालिक और बहुआयामी रहा है। दोनों शासकों ने अपने-अपने कालखंड में ऐसी नीतियाँ अपनाईं, जिन्होंने न केवल तत्कालीन समाज को प्रभावित किया, बल्कि भारतीय सभ्यता के मूल्यों सहिष्णुता, एकता और नैतिकता को स्थायी रूप से सुदृढ़ किया।

सामाजिक सहिष्णुता और एकता का विकास

दोनों शासकों की नीतियों का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव समाज में धार्मिक सहिष्णुता और एकता की स्थापना के रूप में देखा जा सकता है।

सम्राट अशोक ने "धम्म" के माध्यम से विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच पारस्परिक सम्मान और सद्भाव को प्रोत्साहित किया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि किसी भी धर्म की श्रेष्ठता का दावा करने के बजाय सभी धर्मों के गुणों को स्वीकार करना चाहिए।

इसी प्रकार, सम्राट अकबर ने "सुलह-ए-कुल" की नीति के द्वारा धार्मिक भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया और विभिन्न समुदायों को एक साझा राजनीतिक एवं सामाजिक ढाँचे में जोड़ा। परिणामस्वरूप, भारतीय समाज में बहुलतावाद की भावना को बल मिला।

नैतिक शासन और प्रशासनिक आदर्श

अशोक की धार्मिक नीति का एक प्रमुख योगदान नैतिक शासन की अवधारणा को स्थापित करना था। उन्होंने शासन को केवल शक्ति के प्रयोग तक सीमित न रखकर उसे नैतिक जिम्मेदारी से जोड़ा।

उनके द्वारा किए गए जनकल्याणकारी कार्य अस्पतालों की स्थापना, वृक्षारोपण, जलस्रोतों का निर्माण शासन के मानवीय स्वरूप को दर्शाते हैं।"धम्म" के सिद्धांतों के माध्यम से उन्होंने प्रशासन में नैतिकता और उत्तरदायित्व को प्राथमिकता दी। दूसरी ओर, अकबर ने प्रशासन को समावेशी और व्यावहारिक बनाया-विभिन्न धर्मों के लोगों को प्रशासन में शामिल किया,धार्मिक करों को समाप्त किया,न्याय और समानता पर आधारित शासन व्यवस्था विकसित की।इस प्रकार, दोनों शासकों ने शासन के ऐसे आदर्श प्रस्तुत किए, जो आज भी सुशासन के महत्वपूर्ण मानदंड माने जाते हैं।

सांस्कृतिक समन्वय और समृद्धि

सम्राट अकबर की नीतियों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव सांस्कृतिक समन्वय के रूप में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उनके शासनकाल में हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों के बीच पारस्परिक आदान-प्रदान को बढ़ावा मिला, जिसके परिणामस्वरूप कला, स्थापत्य, संगीत और साहित्य में मिश्रित परंपराओं का विकास हुआ। अकबर के संरक्षण में ऐसी सांस्कृतिक धारा विकसित हुई, जिसमें विविध धार्मिक और सांस्कृतिक तत्वों का समन्वय दिखाई देता है। फतेहपुर सीकरी जैसे सांस्कृतिक केंद्र इस समन्वय के जीवंत उदाहरण हैं, जहाँ स्थापत्य, विचार और कला का अद्भुत संगम देखने को मिलता है।

दूसरी ओर, सम्राट अशोक के काल में बौद्ध धर्म के व्यापक प्रसार ने भारतीय संस्कृति को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित किया। अशोक द्वारा भेजे गए धर्म मिशनों के माध्यम से श्रीलंका, मध्य एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया में भारतीय सांस्कृतिक प्रभाव का विस्तार हुआ। इसके साथ ही बौद्ध कला और स्थापत्य जैसे स्तूप, विहार और शिलालेख का उल्लेखनीय विकास हुआ, जिसने भारतीय सांस्कृतिक परंपरा को वैश्विक पहचान दिलाई। इस प्रकार, दोनों शासकों की नीतियों ने न केवल अपने-अपने काल में सांस्कृतिक उन्नति को प्रोत्साहित किया, बल्कि दीर्घकालीन रूप से सांस्कृतिक आदान-प्रदान और समृद्धि की मजबूत आधारशिला भी स्थापित की।

आधुनिक भारत पर प्रभाव

अशोक और अकबर की धार्मिक नीतियाँ आज भी आधुनिक भारत के धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक मूल्यों की आधारशिला मानी जाती हैं।भारतीय संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता की भावना इन ऐतिहासिक परंपराओं से प्रेरित है सामाजिक समरसता, समानता और न्याय के सिद्धांत इनके विचारों से मेल खाते हैं,विविधता में एकता की अवधारणा को ऐतिहासिक आधार प्राप्त होता है

समकालीन प्रासंगिकता

आज के वैश्विक और बहुसांस्कृतिक समाज में, जहाँ धार्मिक असहिष्णुता और संघर्ष की चुनौतियाँ सामने आती हैं, सम्राट अशोक और सम्राट अकबर की नीतियाँ अत्यंत प्रासंगिक हैं।सहिष्णुता और संवाद की आवश्यकता,नैतिक नेतृत्व का महत्व,विविधता के बीच संतुलन बनाए रखने की कला,इन सभी में उनकी नीतियाँ एक आदर्श मार्गदर्शन प्रदान करती हैं।

निष्कर्ष

सम्राट अशोक और सम्राट अकबर की धार्मिक नीतियाँ भिन्न ऐतिहासिक संदर्भों में विकसित हुईं, परंतु दोनों का उद्देश्य सामाजिक समरसता और शांति स्थापित करना था। अशोक की नीति नैतिकता पर आधारित थी, जबकि अकबर की नीति समन्वय पर आधारित थी।उनकी नीतियाँ आज भी सामाजिक समरसता, धर्मनिरपेक्षता और मानवीय मूल्यों के लिए प्रेरणास्रोत बनी हुई हैं, जो उन्हें भारतीय इतिहास में स्थायी और महान स्थान प्रदान करती हैं।दोनों ने भारतीय इतिहास में धार्मिक सहिष्णुता की परंपरा को सुदृढ़ किया।

संदर्भ

- थापर, रोमिला (2002). अशोक और मौर्य साम्राज्य का पतन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
- स्मिथ, वी. ए. (1998). अकबर: महान मुगल, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
- बाशम, ए. एल. (2004). भारत का अद्भुत इतिहास, पिकाडोर।
- कुमार रोहिताश (2026). सम्राट अशोक की प्रशासनिक व्यवस्था: धम्म,नैतिकता एवं लोक कल्याण का ऐतिहासिक विश्लेषण, गिना शोध संगम ।
- चंद्र, सतीश (2007). मध्यकालीन भारत: सल्तनत से मुगलों तक, हर-आनंद पब्लिकेशन।
- सिंह, उपिंदर (2008). प्राचीन और प्रारंभिक मध्यकालीन भारत का इतिहास, पियर्सन एजुकेशन।
- कुलके, हर्मन एवं रॉदरमंड, डिटमार (2016). भारत का इतिहास ,रूटलेज।
- त्रिपाठी, रामशंकर (1967). प्राचीन भारत का इतिहास ,मोतीलाल बनारसीदास।
- रिज़वी, एस. ए. ए. (1975). अकबर के धार्मिक और बौद्धिक विचार ,मुंशी राम मनोहर लाल।
- अली, अथर (1997). मुगल अभिजात वर्ग ,ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
- शर्मा, आर. एस. (2005). प्राचीन भारत ,ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
- नंदा, बी. आर. (1990). भारतीय इतिहास के प्रमुख व्यक्तित्व ,नेशनल बुक ट्रस्ट।
- घोष, एच. सी. (2010). अशोक और उनका धम्म ,साहित्य अकादमी।